

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संख्या:-

दिनांक:-

अधिसूचना

विषय : औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका-14 के तहत प्रावधान की व्याख्या एवं समाधान के लिए समिति का गठन।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका-14 के तहत प्रावधान की व्याख्या एवं समाधान के लिए प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में निम्न रूप में एक समिति का गठन किया जाता है:-

- | | |
|---|------------|
| (i) प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना:- | अध्यक्ष |
| (ii) प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि | सदस्य |
| (iii) प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना:- | सदस्य |
| (iv) उद्योग निदेशक, बिहार, पटना | सदस्य |
| (v) निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना | सदस्य सचिव |
| (vi) बिहार स्टेट पावर (होल्टिडिंग) कंपनी लि०, पटना के प्रतिनिधि | सदस्य |

2. समिति आवश्यकतानुसार समय-समय पर विशेष आमंत्रित सदस्यों को आमंत्रित करेगी।

3. यह समिति औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 के किसी भी प्रावधान की व्याख्या एवं समाधान करेगी।

ह०/-

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक :

सं०सं०-4तक०/विविध/सी/124/2014

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के निजी सहायक/ निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना के निजी सहायक /अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्टिडिंग) कंपनी लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 547 /पटना, दिनांक-

सं०सं०-4तक०/विविध/सी/124/2014

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30.03.15
Jh 27/03/2015
प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।